भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *92

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

बीसलपुर बांध से परस्पर जोड़ना

***92. श्री रामचरण बोहरा:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बीसलपुर बांध में जो जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों तथा आंशिक रूप से नागौर जिले के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है, पेयजल की कमी को दूर करने के लिए उक्त बांध को बाह्य सहायता के माध्यम से बीसलपुर-ब्राह्मणी नदी से परस्पर जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो परस्पर जोड़ने का उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का पेयजल की कमी का सामना कर रहे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के जिलों में पेयजल और सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी उपलब्ध कराने के लिए बाह्य सहायता के माध्यम से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

"बीसलपुर बांध से परस्पर जोड़ना" के संबंध में दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *92 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी जिससे कि जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरित किया जा सके। एनपीपी के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) को चिह्नित किया है। एनडब्ल्यूडीए ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अंतराज्यीय लिंक परियोजनाओं के 49 प्रस्तावों का भी अध्ययन किया है।

एनपीपी के अंतर्गत, बीसलपुर-ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर बांध के साथ जोड़े जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, राजस्थान राज्य सरकार से भी अंतराज्यीय लिंक के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत रूप से जोड़े जाने वाले संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक के अंतर्गत, बीसलपुर बांध को जोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिसे एनपीपी के अंतर्गत प्राथमिकता लिंकों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है।

जनवरी, 2023 में, संशोधित पीकेसी लिंक की प्रारूप पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) का मसौदा मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को परिचालित किया गया था। इस लिंक परियोजना का कार्यान्वयन आगे बढाने और इस लिंक परियोजना कि व्यापक योजना और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संशोधित पी के सी लिंक परियोजना में पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर तथा टोंक जिलों सहित 13 जिलों में और मध्य-प्रदेश के मालवा तथा चम्बल क्षेत्र में उपर्युक्त दोनों राज्यो के मार्गस्थ टैकों को भरते हुए तथा इन दोनों राज्यों के 5.6 लाख हेक्टयर अथवा उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई के साथ-साथ वहां पेयजल तथा औद्यगिक जल प्रदान करने के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना से चंबल बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम और किफायती उपयोग में मदद मिलेगी।

हालांकि, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा ही इस लिंक परियोजना के विभिन्न घटकों की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके उपरांत ही, परियोजना के कार्यान्वयन की समय अवधि, वित्त पोषण पैटर्न इत्यादि का मूल्यांकन किया जाएगा।

*****